राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

मामला कमांक 20260123059806/अ–62 वर्ष 2025–26

8/1/26

प्रकरण तहसीलदार नांदघाट से प्राप्त होकर पेश।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार नांदघाट के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक राजकुमार पिता स्व. लेखराम निवासी ग्राम केशला, प.ह.नं. 06 तहसील नांदघाट जिला बेमेतरा के द्वारा ग्राम केशला स्थित भूमि ख.न. 429 रकबा 0.41 हे. भूमि में स्थित 05 नग वृक्ष को घरेलू उपयोग के लिए काटने की अनुमति बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

छ.ग.भू–राजस्व संहिता की धारा 240 व 241 के तहत् बने प्रावधानों व नियमों के आधार पर वन परिक्षेत्र अधिकारी नवागढ़ व राजस्व निरीक्षक को वृक्ष की स्थिति, गोलाई, ऊंचाई इत्यादि का मौका निरीक्षण व जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु ज्ञापन जारी किया गया। नियत समयावधि पर संयुक्त हस्ताक्षर युक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम केशला में स्थित भूमिस्वामी हक की भूमि ख.न. 429 रकबा 0.41 हे. में कुल 05 नग सागौन वृक्ष है, जिसकी सूची प्रकरण के साथ संलग्न है।

क्र.	पेड़ का किस्म	लंबाई	छाती गोलाई	वृक्ष की उम्र	हाललत
1	सागौन	35′	122 cm	40 वर्ष	ईमारती
2	सागौन	34′	122 cm	40 वर्ष	
3.	सागौन	50′	120 cm	40 वर्ष	
4.	सागौन	15′	96 cm	40 वर्ष	
5.	सागौन	30′	134 cm	40 वर्ष	

अतः छ.ग.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ 4–34/सात–1/2021 तथा नियम के अधार पर उक्त 05 सूखे वृक्ष को काटे जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः तहसीलदार नांदघाट के प्रतिवेदन, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए छ.ग. राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित कमांक 61 रायपुर दिनांक 11 फरवरी 2022, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना कमांक एफ 4/सात–1 2021 में दिये गये निर्देशानुसार छ.ग.भू–राजस्व संहिता 1959 की

Sd/- 8/1/26

धारा 240 के तहत् आवेदक राजकुमार पिता लेखराम निवासी ग्राम केशला, प.ह.नं. 06 तहसील नांदघाट जिला बेमेतरा को आवेदित भूमि ख.नं. 429 रकबा 0.41 हे. में स्थित 05 नग सागौन वृक्ष की कटाई छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन किये जाने की शर्त पर अनुमति प्रदान की जाती है।

तद्नुसार आदेश प्रसारित किया जावे।

प्रकरण नस्तीबद्ध कर दा.द. किया जावे।

8/1/26

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
नवागढ़,जिला–बेमेतरा